

# फर्द अहकाम

बनाम

क आज्ञा या  
पर्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

पत्र को आतिथ्य यलाने का कोई  
आधिकार नहीं होता है  
अतः इस बाद खारिज हो जाने के  
कारण यह समझना पत्र खारिज किया  
जाता है पत्रावली फेरलारुकाट  
होकर वही नम्बर से मग ही वाकिल  
दफ्तर ही।  
निर्दिष्ट आज्ञा दि. 7/6/18 की मजमूआत  
सुनाया गया।

32

उपखण्ड अधिकारी  
बस्सी जिला-जयपुर

